

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग,
प्रधान महलेखाकार (लेखापरीक्षा-1) का कार्यालय, मध्य प्रदेश,
amglhqrs.mpi.au@cag.gov.in

टीजीएस सेल (लेखा परीक्षा प्रबंधन समूह प्रथम) के दल क्र. 09 का दौरा कार्यक्रम

श्री मुत्तम खट्टि		श्री मुकेश चौरसिया	
स.ले.प.अ.		स.ले.प.अ.	
क्र. स.		कार्य दिवस	दिनांक
	प्रस्थान: नीमच		05.01.25
01	कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्, नीमच (अवधि 10/18 से 03/24)	10	06.01.25 से 17.01.25
	प्रस्थान: रतनगढ़, नीमच		18.01.25 / 19.01.25
02	कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्, रतनगढ़, नीमच (अवधि 04/14 से 03/24)	10	20.01.25 से 31.01.25
	प्रस्थान: मंदसौर		01.02.25/ 02.02.25
03	कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्, सुवासरा, मंदसौर (अवधि 04/14 से 03/24)	10	03.02.25 से 14.02.25
	प्रस्थान: ग्वालियर		15.02.25/16.02.25
04	कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्, विलोआ, ग्वालियर (अवधि 04/15 से 03/24)	09	17.02.25 से 28.02.25
	प्रस्थान: रीवा		01.03.25/02.03.25
05	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, एवं चयनित ग्राम पंचायत, हनुमन्त रीवा (अवधि 02/19 से 03/24)	05/12	03.03.25 से 07.03.25
	प्रस्थान: ग्वालियर		08.03.25
	मुख्यालय पर प्रशिक्षण हेतु	04	10.03.25 से 13.03.25
	प्रस्थान: रीवा		16.03.25
05	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, एवं चयनित ग्राम पंचायत, हनुमन्त रीवा (अवधि 02/19 से 03/24)	07/12	17.03.25 से 25.03.25
	प्रस्थान: ग्वालियर	01	26.03.25

अवकाश: जनवरी 2025- 11,12,18,19,25,26 फरवरी- 01,02,08,09,12,15,16,22,23,26 मार्च- 01,02,08,09,14,15,16

- टीपः 1 इकाई से संबंधित शिक्कयत प्रकरण यदि कोई हो तो उसकी जाँच किया जाना सुनिश्चित करें ।
- 2 दल के सदस्य प्रस्थान लेने से पूर्व Movement Register पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें।
 3. संलग्न निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें एवं पूर्व में जारी निर्देशों का भी पालन करें ।
 4. टी.जी.एस. के अंतर्गत लेखापरीक्षा के फॉर्मेट सॉफ्ट कॉपी में मुख्यालय से प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।
(प्राधिकार: महालेखाकार महोदय के अनुमोदन उपरान्त जारी)

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/मुख्यालय
लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह प्रथम

दिनांक :- 03.01.2025

क्र/ एम जी- 1/दौरा कार्यक्रम/एस/टी/आर/ 939

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिवालय, उप महालेखाकार/ए एम जी-1 को सूचनार्थ ।
2. व.ले.प.अ./ए.पी.डी.ए.सी.
3. व ले प अ/ आई एस विंग वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
4. व ले प अ / ए एम जी -1 (रिपोर्ट), टी जी एस एवं स.ले.प.अ./डी.सी.ए. ।
5. समस्त दल के सदस्यों को अनुपालन हेतु ।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner